प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2017 को आयोजित बुडको के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 27.12.2017 को बुडको द्वारा कार्यान्वित जलापूर्ति परियोजना, सिवरेज परियोजना आदि कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, परियोजना निदेशक, बुडको एवं बुडको के महाप्रबंधक/कार्यपालक अभियंता उपस्थित हुए।

2. राज्य योजनांतर्गत बुडको द्वारा विभाग से अवशेष राशि की माँग की गयी है, जिसमें संबंधित योजनांतर्गत कितनी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक समर्पित किया गया है, उसका उल्लेख नहीं है। मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि किसी भी योजनांतर्गत बुडको द्वारा अवशेष राशि की अधियाचना के साथ विभाग द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि का योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने की सूचना भी अंकित करेंगे तथा कराये गये कार्य का फोटोग्राफ भी संलग्न करेंगे।

3. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि मकदूमपुर नगर पंचायत में नवनिर्मित बस स्टैण्ड को संबंधित नगर निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है, लेकिन उसमें बस का पड़ाव नहीं हो रहा है तथा इस स्टैण्ड में ऑटो का ही ठहराव हो रहा है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की जाय। **(प्रशाखा पदा०–2)**

4. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि कटिहार बस स्टैण्ड के निर्माण के प्राक्कलन में बाउंड्री वॉल का निर्माण शामिल नहीं था। निर्देश दिया गया कि बाउंड्री वॉल के निर्माण का प्राक्कलन विभाग को समर्पित किया जाय।

5. बिहार शरीफ बस स्टैण्ड के संबंध में परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन बाउंड्री वॉल के निर्माण हेतु जमीन पर अतिक्रमण होने के कारण बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हो सका है। यह भी बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में नगर आयुक्त से वार्ता हुई है। अतिक्रमण हटते ही बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

6. दरभंगा, अरेराज बस स्टैण्ड के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि मार्च 2018 में निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। दाउदनगर बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु चिन्हित जमीन पर महिला कॉलेज की जमीन बताये जाने के कारण माननीय न्यायालय में मामला दायर है, जिसमें न्यायालय द्वारा stay order दिया गया है, फलस्वरूप निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

नोखा बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु चिन्हित जमीन के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि बस स्टैण्ड के पीछे के एक आवासीय द्वारा रास्ता होने संबंधी मामला न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा stay order दिया गया है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, दाउदनगर एवं नोखा से विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की जाय। **(प्रशाखा पदा०–2)**

7. झाझा बस स्टैण्ड के संबंध में परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि बिजली का हाईटेंशन तार रहने के कारण निर्माण कार्य अभी अधूरा है। बिजली का तार हटते ही शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि मधेपुरा, सहरसा के बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य मार्च 2018 में पूर्ण कर लिया जाएगा।

8. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्णिया, मोतीपुर, साहिबगंज, सुल्तानगंज एवं भागलपुर में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण राशि वापस हो जाने की सूचना है।

9. सहरसा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि जमीन की समस्या है। जमीन उपलब्ध हो जाने की स्थिति में दिसम्बर, 2018 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

10. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा कार्यान्वित परियोजना में उपयोग के लिए बालू की आपूर्ति हेतु खान एवं भूतत्व विभाग से गंगा बालू एवं सोन बालू की आपूर्ति के लिए एक बालू घाट का निश्चित अवधि के लिए लाईसेंस प्राप्त किया जाय और उस अवधि में आवश्यकतानूसार बालू की आपूर्ति कर ली जाय।

11. बोधगया जलापूर्ति योजना के संबंध में परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हाऊस–टू–हाऊस कनेक्शन अभी नहीं हो पाया है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि जिन वार्डो में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, उन वार्डो का पूर्णरूपेण आच्छादन हेतु वार्डो में शेष बचे क्षेत्र के लिए प्राक्कलन तैयार कर 05 जनवरी, 2018 तक अनिवार्य रूप से विभाग को समर्पित किया जाय।

12. पटना जलापूर्ति योजना के डी०पी०आर० के निर्माण हेतु बुडको, बिहार राज्य जल पर्षद एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ बैठक आयोजित करायी जाय। इस हेतु संबंधित विभाग/एजेंसियों को पत्र भेजा जाय। **(प्रशाखा पदा०–2)**

13. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि दानापुर जलापूर्ति योजना के संबंध में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेजा जाय कि बुडको द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है एवं योजना के कार्यान्वयन का time-frame क्या है? बुडको द्वारा दानापुर जलापूर्ति योजना का कार्य नहीं कराने की स्थिति में दानापुर नगर परिषद द्वारा कार्य कराया जाएगा।

इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको को पत्र भी भेजा जाय। **(प्रशाखा पदा०–2)**

14. यारपुर, अम्बेदकरनगर में निर्माणाधीन राजीव आवास योजनांतर्गत आवास निर्माण के संबंध में परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि स्वीकृत BOQ से लगभग दुगुनी राशि से निर्माण हो रहा है। स्वीकृत BOQ की राशि की वृद्धि की स्वीकृति किस स्तर हुई है, इस संबंध में पूछे जाने स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में अध्ययन करके एक स्पष्ट प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय। पूर्व स्वीकृत BOQ की राशि में

बढ़ोत्तरी की स्वीकृति यदि सक्षम प्राधिकार से नहीं हुआ है तो विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/12/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–.........8174.........न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक .....28/12/17.....

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, वि०का०प०/प्रशाखा पदाधिकारी–2 एवं 3/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2017

प्रधान सचिव